

उत्तर प्रदेश शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1313 (2) /पन्द्रह-1-2023
लखनऊ: दिनांक 19 सितम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1960 में एन0डी0ए0 और अन्य सशस्त्र बलों में प्रवेश हेतु उ०प्र० के निवासी छात्र/छात्राओं को सैन्य उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष स्कूल के रूप में खोलने के लिए की गई थी। देश का पहला सैनिक स्कूल अर्थात् उ०प्र० सैनिक स्कूल, लखनऊ की स्थापना उ०प्र० सैनिक स्कूल सोसाइटी के अन्तर्गत की गई थी, जिसे अब कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय उ०प्र० सैनिक स्कूल, लखनऊ नाम दिया गया है। इस सोसायटी के तत्वावधान में यह स्कूल सफलतापूर्वक चल रहा है। पुनः उ०प्र० सरकार द्वारा इसी शृंखला में एक और सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है जिसका अभी वर्तमान नाम उ०प्र० सैनिक स्कूल, गोरखपुर है।

2- माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-1010(2)/पंद्रह-1-2023 दिनांक 21 जुलाई 2023 के संदर्भ व क्रम में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा VI से कक्षा XII तक शुरू होने वाले उ०प्र० सैनिक स्कूल, गोरखपुर को उ०प्र० सैनिक स्कूल सोसायटी के अधीन संचालित होने वाले सैनिक स्कूल पर लागू नियमों और विनियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन मान्यता प्रदान की जाती है।

नियम व शर्तें:-

- (1) विद्यालय को दी गई मान्यता स्थायी है।
- (2) उक्त मान्यता कक्षा छठी से बारहवीं कक्षा तक के लिए है।
- (3) स्कूल उ०प्र० सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित स्कूलों के लिए लागू प्रावधानों और नियमों और विनियमों का पालन करेगा।
- (4) स्कूल उ०प्र० सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित स्कूलों की प्रवेश नीति के अनुसार कक्षा VI से XII में प्रवेश देगा।
- (5) स्कूल को सरकारी अनुदान से प्राप्त सभी प्राप्तियां, आय और व्यय सहित सरकारी खातों की आय और व्यय का रिकॉर्ड रखना होगा व दिखाने के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता रखना होगा।
- (6) स्कूल कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा।
- (7) स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि-
 - (a) किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा।
 - (b) शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती उ०प्र० सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत संचालित स्कूलों के लिए लागू निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार योग्यता के साथ की जायेगी।
 - (c) शिक्षक उ०प्र० सैनिक स्कूल सोसायटी के नियम/क्लाज के तहत निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

- (8) स्कूल सक्षम प्राधिकारी यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- (9) स्कूल उ०प्र० सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा निर्दिष्ट मानकों और मानदंडों को बनाए रखेगा।
- (10) विद्यालय के नाम पर विद्यालय परिसर के भीतर या बाहर कोई भी गैर मान्यता प्राप्त कक्षा नहीं चलेगी।
- (11) विद्यालय भवन योजना वर्तमान नियमों व शासनादेश द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। स्कूल भवन या अन्य संरचनाओं और मैदानों का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा। स्कूल के कामकाजी घंटों के दौरान परिसर के भीतर निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए और सभी प्रकार से सुरक्षा उपाय करना स्कूल अधिकारियों की पूरी जिम्मेदारी है।
- (12) स्कूल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा चलाया जाना चाहिए।
- (13) स्कूल किसी व्यक्ति, समूह या व्यक्तियों के संघ या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं चलाया जाना चाहिए।
- (14) स्कूल खातों को समय-समय पर स्थानीय लेखा परीक्षा प्राधिकरण के साथ-साथ ए०जी० कार्यालय, प्रयागराज द्वारा ऑडिट और प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- (15) स्कूल समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करने तथा विद्यालय की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जा सकते हैं।
- (16) उ०प्र० सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत अधिसूचित सभी सैनिक स्कूलों में अंग्रेजी और हिंदी (भाषा विषय) को छठी से दसवीं कक्षा तक एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा।
- (17) स्कूल उ०प्र० सैनिक स्कूल सोसायटी के सभी प्रावधानों का पालन करेगा।
- (18) स्कूल प्रशासन, अधिकारियों द्वारा बुनियादी ढांचे, प्रशासन एवं सुरक्षा में बताई गई कमियों को दूर करेगा।
- (19) स्कूल प्रशासन बच्चों की सुरक्षा और स्कूल के समग्र प्रशासन को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सरकार/विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा।
- (20) यदि इस संबंध में कोई अदालती मामला सामने आता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। स्कूल प्रशासन यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी से एनओसी प्राप्त किए बिना किसी अन्य बोर्ड से संबद्धता लेने का हकदार नहीं होगा।

(डॉ० रूपेश कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 2 सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
- 2- शिक्षा निदेशक(मा०), उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 4- प्रधानाचार्य, कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय उ०प्र० सैनिक स्कूल, लखनऊ।
- 5- प्रधानाचार्य, उ०प्र० सैनिक स्कूल, गोरखपुर।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।
c